रिपोर्टेबल

राजस्थान उच्च न्यायालय , जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 1239/2019

मैग्मा एच.डी.आई. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 81, हिल रोड, रामनगर, नागपुर-440010 महाराष्ट्र, दूसरा पता 207, 208, कमल रतन चैंबर, एम.आई. रोड, जी.पी.ओ. के सामने, जयपुर, अपने गठित अटॉर्नी के माध्यम से जिसका क्षेत्रीय कार्यालय तीसरी मंजिल, प्रेस्टीज टॉवर, अमरपाली सर्कल के पास, वैशाली नगर, जयपुर में है।

----अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती. शुभला पत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र सिंह, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी ग्राम। चीचडोली, पोस्ट भडूंदा खुर्द, वाया इस्लामपुर, जिला झुंझुनू (राजस्थान)।

2. आकांशा पुत्री स्वर्गीय श्री विजेंद्र सिंह, उम्र लगभग 15 वर्ष, दावेदार-प्रत्यर्थी अपनी स्वाभाविक संरक्षक मां श्रीमती के कारण नाबालिग हैं। शुभला पत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र सिंह, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी ग्राम। चीचडोली, पोस्ट भडूंदा खुर्द, वाया इस्लामपुर, जिला झुंझुनू (राजस्थान)।

3. आशीष पुत्र स्वर्गीय श्री विजेंद्र सिंह, उम्र लगभग 13 वर्ष, दावेदार-प्रत्यर्थी अपनी प्राकृतिक संरक्षक मां श्रीमती के माध्यम से नाबालिग हैं। शुभला पत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र सिंह, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी ग्राम। चीचडोली, पोस्ट भडूंदा खुर्द, वाया इस्लामपुर, जिला झुंझुनू (राजस्थान)।

4. महेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री सांवलराम, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी ग्राम 8। चीचडोली, पोस्ट भडूंदा खुर्द, वाया इस्लामपुर, जिला झुंझुनू (राजस्थान)।

5. श्रीमती संतोष पत्नी श्री महेंद्र सिंह, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी ग्राम। चीचडोली, पोस्ट भडूंदा खुर्द, वाया इस्लामपुर, जिला झुंझुनू (राजस्थान)।

6. रामदेव पुत्र श्री लक्ष्मणराम, निवासी ग्राम। एवं पोस्ट तोलियासर, पुलिस थाना मोलासर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, दूसरा पता बी-11, सुंदर अपार्टमेंट, गोमती

होटल के पीछे, नेता जी नगर, भंडारा रोड, नागपुर। पिन-440008 (ड्राइवर और कार संख्या एमएच-49-बी-6665 का पंजीकृत मालिक)

----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी (गण) की ओर से : श्री वीरेन्द्र अग्रवाल जी के साथ

: सुश्री चालसी गंगवाल

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री विनय माथुर

माननीय न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार

निर्णय

निर्णय सुरक्षित करने की तिथि : 30.11.2022

निर्णय उच्चारित करने की तिथि : 20.01.2023

संदर्भित मामले-

(i.) सुरिंदर कुमार अरोड़ा और अन्य बनाम डॉ. मनोज बिस्ला एवं अन्य ने एमएसीडी 2012 (एससी) 126 में प्रकाशित।

(ii.) ओरिंटल इशूरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मीना वरियाल, (2007) 3 एससीसी 428।

(iii.) चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती। बादामी एवं अन्य, 2018 में रिपोर्ट (2) आरएआर 587 (राजस्थान)।

(iv.) पुष्पाबाई परषोत्तम उदेशी और अन्य बनाम रंजीत गिनिंग एंड प्रेसिंग कंपनी लिमिटेड और अन्य, 1977 में प्रकाशित (2) एससीसी 745।

(v.) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम नंद किशोर और अन्य, 2002 एसीजे में प्रकाशित 1564।

(vi.) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती श्यामी देवी ने 2020 (4) डीएनजे 922 में प्रकाशित।

(vii.) बिमला देवी और अन्य। बनाम हिमाचल सड़क परिवहन निगम एवं अन्य (2009) 13 एससीसी 530 में प्रकाशित।

(viii.) सुनीता और अन्य। बनाम राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य, AIR 2019 SC 994 में प्रकाशित।

(ix.) मंगला राम बनाम. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य, (2018) 5 एससीसी 656 में प्रकाशित।

(x.) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम। शिला दत्ता (2011) 10 एससीसी 509।

(xi.) आशा देवी एवं अन्य बनाम सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं अन्य 2021 एसीजे 2679 में प्रकाशित।

(xii.) श्याम सुंदर बनाम राजस्थान राज्य, (1974) 1 एससीसी 690 में प्रकाशित।

(xiii.) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम। मीना वरियाल, (2007) 3 एससीसी 428 में प्रकाशित।

(xiv.) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चामुंडेश्वरी और अन्य, 2021 (11) स्केल 593 में प्रकाशित।

(xv.) डुलसीना फर्नांडिस बनाम जोआकिम जेवियर क्रूज़, 2013 में प्रकाशित (10) एससीसी 646।

(xvi.) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम नंद किशोर और अन्य, 2002 एसीजे 1564 में प्रकाशित।

(xvii.) मुकेश बनाम प्रदीप कुमार एवं अन्य, 2016 (2) आर.ए.आर. 507 (राजस्थान)

1. अपराधी वाहन के बीमाकर्ता ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 173 के तहत यह अपील दायर की है, जिसमें मोटर दुर्घटना द्वारा दावा मामले संख्या 186/2016 में दिए गए दिनांक 22.1.2019 के निर्णय को चुनौती दी गई है। दावा न्यायाधिकरण, झुंझुनू, जिसके तहत विद्वान न्यायाधिकरण ने रुपये का मुआवजा दिया। दावा याचिका दायर करने की तारीख से प्रतिवर्ष 7.5% ब्याज के साथ प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के पक्ष में 65,94,000/- रुपये के मुआवजे का निर्णय पारित किया

प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 ने 2,72,70,000/- रुपये का दावा किया था। वाहन के मालिक-सह-चालक, प्रत्यर्थी संख्या 6, ने दावा मामला नहीं लड़ा और न ही इस अपील में उपस्थित हुए। इस परिस्थिति में, प्रत्यर्थी संख्या 6 को उपलब्ध बचाव अपीलार्थी को भी उपलब्ध था/है।

2. प्रत्यर्थी-दावेदारों का मामला एवं दावा यह है कि दिनांक 21.4.2016 को दावेदार श्रीमती शुभला के पति विजेन्द्र सिंह और दावेदार-प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 के माता-पिता और साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 4 और 5 के बेटे, पंजीकरण संख्या MH-49-B-6665 वाली स्विफ्ट डिजायर कार में यात्रा कर रहे थे। कार के मालिक-सह-चालक ने लापरवाही बरती और संतुलन खो दिया, जिसके परिणामस्वरूप मोटर वाहन दुर्घटना हुई। चालक और विजेंद्र दोनों को चोटें आईं। अस्पताल में विजेंद्र की मौत हो गई.

उनकी मृत्यु के समय, विजेंद्र शिक्षक ग्रेड III थे, उनकी उम्र 35 वर्ष थी और वह रुपये 32,000/- प्रतिमाह अर्जित कर रहे थे। केवल अपीलार्थी ने दावा मामला लड़ा।

3. अपीलार्थी ने दावा याचिका में दिए गए कथनों से इनकार किया और दलील दी कि ड्राइवर के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। एफ.आई.आर. दर्ज करने में देरी हो रही थी। पुलिस की मिलीभगत से आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। वाहन बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करके चलाया जा रहा था। दावेदारों द्वारा अत्यधिक राशि का दावा किया गया है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री वीरेंद्र अग्रवाल ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा याचिका में, दावेदारों को ड्राइवर की लापरवाही के साथ-साथ वाहन की संलिप्तता को सिद्ध करना होगा। चूंकि दुर्घटना के किसी चश्मदीद गवाह से पूछताछ नहीं की गई, इसलिए लापरवाही से गाड़ी चलाने या अपीलार्थी के साथ वाहन की संलिप्तता के कारण हुई दुर्घटना अप्रमाणित रही। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **सुरिंदर कुमार अरोड़ा एवं अन्य बनाम डॉ. मनोज बिस्ला एवं अन्य ने एमएसीडी 2012 (एससी) 126 में रिर्पोटित** मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है।

अरोड़ा (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मीना वरियाल , (2007) 3 एससीसी 428**, में अपने पहले के

निर्णय का उल्लेख किया। जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

> "...इसलिए, दुर्घटना के शिकार व्यक्ति या उसके आश्रितों के पास या तो अधिनियम की धारा 166 के तहत या धारा 163 ए के तहत आगे बढ़ने का विकल्प होता है। एक बार जब वे अधिनियम की धारा 166 के तहत ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, तो उन्हें आवश्यक रूप से संबंधित वाहन के चालक या मालिक की लापरवाही को स्थापित करने का भार अपने ऊपर लेना होता है। लेकिन यदि वे अधिनियम की धारा 163 ए के तहत आगे बढ़ते हैं, तो पीड़ित या उसके आश्रितों को वाहन के मालिक या वाहन के चालक की ओर से किसी भी लापरवाही या डिफ़ॉल्ट को स्थापित करने के लिए बुलाए बिना अनुसूची के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।"

5. विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने घटना के आपराधिक मामले के दस्तावेजों अर्थात एफ.आई.आर., साइट प्लान, साइट निरीक्षण मेमो, वाहन निरीक्षण मेमो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बिना किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य के लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना के तथ्य पर भरोसा किया है। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि **चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती बादामी और अन्य, 2018 (2) आरएआर 587 (राजस्थान) मामले** में प्रकाशित। इस न्यायालय की एकल न्यायमूर्ति पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि घटना के किसी भी चश्मदीद गवाह की अनुपस्थिति में, दावेदार की लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला सिद्ध करने और स्थापित करने में विफल रहे। न्यायालय ने तर्क दिया कि यदि चश्मदीद गवाह बॉक्स में आता, तो प्रत्यर्थीगण को गवाह से जिरह करने और उसकी सत्यता का परीक्षण करने का अवसर मिलता।

6. दावेदार-प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय माथुर का तर्क है कि दावेदारों ने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि दुर्घटना कार की तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई। यह सिद्ध करने के लिए रिकॉर्ड पर प्रचुर साक्ष्य हैं कि दुर्घटना चालक द्वारा तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि **पुष्पाबाई परषोत्तम उदेशी और अन्य बनाम रंजीत गिनिंग एंड प्रेसिंग कंपनी लिमिटेड और अन्य, 1977 (2) एससीसी 745** में प्रकाशित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था,

बल्कि रिकॉर्ड पर साक्ष्य एक ऐसे व्यक्ति का था जो घटना के तुरंत बाद पहुंचे. गवाह ने दुर्घटना के बाद जो कुछ देखा, उसका विवरण दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के पैरा 6 में इस प्रकार कहा:

> "सामान्य नियम यह है कि लापरवाही सिद्ध करना वादी का काम है, लेकिन कुछ मामलों में वादी को काफी कठिनाई होती है क्योंकि दुर्घटना का असली कारण उसे नहीं पता होता है, लेकिन यह पूरी तरह से प्रत्यर्थी की जानकारी में होता है। इसके कारण, वादी दुर्घटना को सिद्ध कर सकता है लेकिन यह सिद्ध नहीं कर सकता कि प्रत्यर्थी की ओर से लापरवाही स्थापित करने के लिए यह कैसे हुआ, रेस इप्सा लोकिटूर के सिद्धांत को लागू करके इस कठिनाई से बचा जाना चाहिए। रेस इप्सा लोकिटुर शब्द का सामान्य अभिप्राय यह है कि दुर्घटना "खुद के लिए बोलती है" या अपनी कहानी खुद बताती है। ऐसे मामले हैं जिनमें दुर्घटना स्वयं ही बोलती है ताकि वादी के लिए दुर्घटना को सिद्ध करना ही पर्याप्त हो और इससे अधिक कुछ नहीं। तब यह प्रत्यर्थी पर निर्भर करेगा कि वह यह स्थापित करे कि दुर्घटना उसकी अपनी लापरवाही के अलावा किसी अन्य कारण से हुई।"

विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि **राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम नंद किशोर और अन्य 2002 एसीजे 1564 में प्रकाशित** में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायमूर्ति के समक्ष भी यही मुद्दा था। दावे के मामले में घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। अन्य सामग्रियाँ वहाँ थीं। इसके अलावा, वह ड्राइवर जो घटना के बारे में विवरण देने के लिए सबसे अच्छा गवाह हो सकता था, चाहे वह लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुआ हो या किसी अन्य कारण से, वह सामने नहीं आया। निर्णय के पैरा 7 और 8 में, न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

> "7. धारा 74, साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, सार्वजनिक अधिकारियों के कृत्यों के रिकॉर्ड या रिकॉर्ड बनाने वाले दस्तावेज़ सार्वजनिक दस्तावेज़ हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 77 में प्रावधान है कि सार्वजनिक दस्तावेजों

की सामग्री को उनकी प्रमाणित प्रतियां पेश करके सिद्ध किया जा सकता है। **मदमंची रामप्पा बनाम मुथलुरु बोज्जप्पा एआईआर 1963 एससी 1633** में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह देखा गया है कि यदि कोई दस्तावेज़ सार्वजनिक दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति है, तो इसे गवाह को बुलाकर सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

8. इस प्रकार, यह सुस्थापित है कि साक्ष्य अधिनियम के सख्त प्रावधानों पर न्यायाधिकरण द्वारा सीमित क्षेत्राधिकार पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। मोटर वाहन दुर्घटना से उत्पन्न मुआवजे के मामलों से निपटने के दौरान न्यायाधिकरणों को ऐसी सारांश प्रक्रिया का पालन करना होगा जैसा वह उचित समझे और एफ.आई.आर. की प्रमाणित प्रति, निरीक्षण मानचित्र और साइट निरीक्षण ज्ञापन, पंच-नामा, चोट रिपोर्ट या पोस्ट-जैसा भी मामला हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते समय पुलिस या डॉक्टर द्वारा तैयार किए गए अन्य प्रासंगिक दस्तावेज औपचारिक साक्ष्य के बिना साक्ष्य में स्वीकार्य हैं।"

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि **पुष्पाबाई परषोत्तम उदेशी और राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (सुप्रा.)** में कथित कानून को विद्वान एकल न्यायमूर्ति के समक्ष नहीं लाया गया, जो **चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सुप्रा.)** के मामले की सुनवाई कर रहे थे। बल्कि चोलामंडलम के मामले पर **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती श्यामा देवी ने 2020 (4) आरएलडब्ल्यू 3346** में प्रकाशित, में विचार किया गया था। श्यामा देवी के मामले में, दावा न्यायाधिकरण के समक्ष घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, हालांकि अन्य साक्ष्य मौजूद थे, जिसमें विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने पैरा 13 में कहा, "एक बार दस्तावेज तैयार हो गए" जिन पुलिस अधिकारियों ने वाहनों के चालक के खिलाफ चालान दायर किया था, उसका भार वाहन के मालिक और चालक पर आ गया और एक बार जब उन्होंने गवाह बॉक्स में उपस्थित नहीं होने का निर्णय किया, तो ट्रिब्यूनल द्वारा उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जा सकता है, के साथ गलती की।" विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि प्रत्यर्थीगण ने इस मामले में कोई साक्ष्य नहीं दिया था, इसलिए रेस इप्सा लोकिटूर

का सिद्धांत भी लागू था, इसलिए विवादित निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अब विचार करने का मुद्दा यह है कि क्या ट्रिब्यूनल ने यह सिद्ध करने के लिए किसी चश्मदीद गवाह की जांच के अभाव में दावा मामले को स्वीकार करने में गलती की है कि दुर्घटना तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के परिणामस्वरूप हुई थी।

8. **बिमला देवी एवं अन्य बनाम हिमाचल सड़क परिवहन निगम एवं अन्य. (2009) 13 एससीसी 530** में प्रकाशित, वास्तविक घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के पैरा 12 और 15 में निम्नानुसार कहा:

> "12. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के संदर्भ में दावा याचिका से निपटने के दौरान, एक ट्रिब्यूनल स्ट्रिक्टो सेंसु पार्टियों की दलीलों से बाध्य नहीं है; इसका कार्य मोटर वाहन के चालक की लापरवाही के कारण दुर्घटना होने की स्थिति में उचित मुआवजे की राशि निर्धारित करना है। यह सच है कि अधिनियम की धारा 166 में निहित प्रावधानों के संबंध में किसी दुर्घटना की घटना दावा याचिका पर विचार करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि इस आशय के साक्ष्य के बावजूद कि दावेदार के पूर्ववर्ती की मृत्यु हो गई थी। मोटर वाहन के कारण हुई दुर्घटना के कारण, दावा याचिका में दिए गए कथनों की तुलना में केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा।
>
> 15. इस प्रकृति की स्थिति में, ट्रिब्यूनल ने मामले पर समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। यह ध्यान में रखना आवश्यक था कि किसी विशेष बस के कारण हुई दुर्घटना का एक विशेष तरीके से पुख्ता साक्ष्य दावेदारों द्वारा किया जाना संभव नहीं हो सकता है। दावेदारों को केवल संभाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर अपना मामला स्थापित करना था। उचित संदेह से परे साक्ष्य का मानक लागू नहीं किया जा सका। उक्त उद्देश्य के लिए, उच्च न्यायालय को दोनों पक्षों द्वारा बताई गई संबंधित कथनों पर विचार करना चाहिए था।"

9. **सुनीता एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य ने एआईआर 2019 एससी 994** में प्रकाशित में बताया कि घटना के समय पीछे बैठने वाले की जांच नहीं की गई थी और इसी कारण से इस न्यायालय की एक पीठ ने ट्रिब्यूनल के निर्णय को रद्द कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

> "20. हमें यह देखने में कोई झिझक नहीं है कि मोटर वाहन दुर्घटना के परिणामस्वरूप परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के संबंध में अधिनियम के तहत मुआवजे के मामले में उच्च न्यायालय का ऐसा अतितकनीकी और तुच्छ दृष्टिकोण बरकरार नहीं रखा जा सकता है। हाल ही में **मंगला राम बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य। (2018) 5 एससीसी 656** में प्रकाशित मामले में इस न्यायालय ने दुर्घटना दावा मामलों में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के बारे में स्थिति को बहाल किया है। उस मामले में, न्यायालय एक मोटरसाइकिल और जीप के बीच दुर्घटना के मामले से निपट रही थी, जहां ट्रिब्यूनल ने एफ.आई.आर. और आरोप-पत्र के साथ-साथ शिकायतकर्ता और गवाहों के बयानों पर भरोसा करते हुए यह राय दी थी कि पुलिस रिकॉर्ड ने दुर्घटना की पुष्टि की और हमलावर जीप की पहचान भी की, लेकिन उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ उस निष्कर्ष को इस आधार पर पलट दिया था कि इस तरह के निष्कर्ष का समर्थन करने वाले मौखिक साक्ष्य को ट्रिब्यूनल ने ही खारिज कर दिया था और वह केवल उस पर भरोसा करता था। पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा बनने वाला दस्तावेज़ इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपर्याप्त था....."

10. **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शिला दत्ता (2011) 10 एससीसी 509 में,** माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायमूर्तियों की पीठ ने कुछ प्रस्तावों को खारिज कर दिया। प्रस्ताव संख्या (ii) (v) और (vi) उस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

> "(ii) दलील के नियम सख्ती से लागू नहीं होते हैं क्योंकि दावेदार को

अधिनियम के तहत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना आवश्यक है। वास्तव में, ऐसी कोई दलील नहीं है जहां ट्रिब्यूनल द्वारा कार्यवाही स्वत: शुरू की गई हो।

(v) यद्यपि न्यायाधिकरण किसी दावे पर निर्णय देता है और मुआवजा निर्धारित करता है, लेकिन यह प्रतिकूल मुकदमेबाजी की तरह ऐसा नहीं करता है।

(vi) ट्रिब्यूनल को ऐसी सारांश प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है जो वह उचित समझे। यह जांच में सहायता के लिए जांच से संबंधित मामलों और विशेष ज्ञान रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को चुन सकता है।

11. **आशा देवी एवं अन्य बनाम सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं अन्य। 2021 एसीजे 2679** में प्रकाशित मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय दुर्घटना के तरीके पर चश्मदीदों के साक्ष्य नहीं होने के प्रभाव पर विचार कर रहा था। दुर्घटना को अंजाम देने वाले ट्रैक्टर के चालक को गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चालक दुर्घटना के तरीके के संबंध में गवाही दे सकता था और यह सिद्ध कर सकता था कि उसने ट्रैक्टर चलाने में लापरवाही नहीं की थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि रेस इप्सा लोकिटुर का सिद्धांत लागू होगा क्योंकि प्रत्यर्थीगण यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी से मुक्त होने में विफल रहे हैं कि दुर्घटना ट्रैक्टर की लापरवाही से ड्राइविंग के कारण नहीं हुई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **श्याम सुंदर बनाम राजस्थान राज्य, (1974) 1 एससीसी 690 में प्रकाशित** पहले के निर्णय पर भरोसा किया।

12. उपरोक्त चर्चा से, यह स्पष्ट रूप से तय किया जा सकता है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत एक दावे के मामले में, दावेदार को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि मोटर वाहन दुर्घटना अपराधी वाहन की तेज गति और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष संक्षिप्त कार्यवाही में दलीलों और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सख्त नियम लागू नहीं होंगे। उपरोक्त तथ्य को सिद्ध करने के लिए चश्मदीद गवाह का होना अनिवार्य नहीं है। चालक की लापरवाही के कारण मोटर वाहन दुर्घटना सिद्ध करने के लिए अन्य उपलब्ध साक्ष्य मौखिक या दस्तावेजी पर भरोसा किया

जा सकता है। ऐसे साक्ष्य की प्रकृति व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी। दावेदार द्वारा तेजी से और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना होने की संभावना वाले साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, यह सिद्ध करने का भार चालक/मालिक पर आ जाएगा कि दुर्घटना उचित देखभाल और सावधानी के बाद भी चालक के नियंत्रण और दुर्घटना को रोकने के लिए ड्राइवर द्वारा लिए गए संज्ञान से परे परिस्थितियों का परिणाम थी। मालिक/चालक द्वारा भार उतारने में असफल रहने पर रेस इप्सा लोकिटूर का सिद्धांत लागू होगा। जब तक ड्राइवर गवाह बॉक्स में उपस्थित नहीं होता, बीमाकर्ता यह तर्क नहीं दे सकता कि दुर्घटना तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने का परिणाम नहीं थी, क्योंकि ड्राइवर/मालिक के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाएगा कि यदि वे गवाह बॉक्स में उपस्थित होते, तो साक्ष्य उनके मामले के खिलाफ गया होगा.

13. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, रेस इप्सा लोकिटुर का सिद्धांत लागू होता है क्योंकि दुर्घटना का कारण ड्राइवर की प्राथमिक जानकारी में था, जो गवाह बॉक्स में उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुनता है।

इसलिए, प्रत्यर्थीगण दुर्घटना के तरीके को सिद्ध करने के लिए अपने भार का निर्वहन करने में विफल रहे। इसलिए, अपीलार्थी को किसी भी चश्मदीद गवाह की जांच न करने के आधार पर ट्रिब्यूनल के निर्णय पर प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

14. दावेदारों ने दुर्घटना के संबंध में नावा सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 69/2016 को रिकॉर्ड में लाया है जो क्रमशः प्रदर्श 1 और 5 पर हैं। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोप-पत्र दाखिल किया जो प्रदर्श 2 है। एकमात्र आरोपी जो यहां प्रत्यर्थी संख्या 6 है, को आपराधिक मामले संख्या 101/2016 में मुकदमे का सामना करना पड़ा और मुकदमे के परिणामस्वरूप दिनांक 6.12.2018 के निर्णय के तहत दोषी ठहराया गया, निर्णय की एक प्रति रिकॉर्ड पर है। चूँकि यह एक सार्वजनिक दस्तावेज़ है, इसलिए न्यायालय इस पर गौर कर सकता है। आपराधिक मुकदमे में अभियोजन पक्ष के चश्मदीद गवाह संख्या 1, विक्रम सिंह और पी.डब्लू.-2 मुकेश से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि 21.4.2016 को कसेडा बस स्टॉप के पास स्विफ्ट डिजायर कार की तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण स्पीड ब्रेकर पर उछल गई और एक पीपल के पेड़ से जा टकराई। लोग वहां एकत्र

हो गए और दोनों घायलों को वाहन से बाहर निकाला और अस्पताल में विजेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया गया। घटना के तरीके से पता चलता है कि ड्राइवर ने ब्रेकर पर गाड़ी की गति धीमी न करने में लापरवाही बरती। जांच अधिकारी से आपराधिक मुकदमे में अभियोजन गवाह के रूप में भी पूछताछ की गई थी। प्रदर्श-4 जांच अधिकारी द्वारा दर्ज की गई साइट निरीक्षण योजना है जो यह दर्शाती है कि वाहन स्पीड ब्रेकर पर कूद गया था और एक पेड़ से टकरा गया था। पूर्व। प्रदर्श-5, वाहन निरीक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि वाहन सामने की ओर से क्षतिग्रस्त था, उसके शीशे फटे हुए थे। प्रदर्श-7 विजेंद्र सिंह की जांच रिपोर्ट है। प्रदर्श-12 पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, डॉक्टर ने मौत का कारण सिर में चोट और पसलियों में चोट पाया है। पूर्व। प्रदर्श-13 वाहन के पंजीकरण का प्रमाणपत्र है और उदाहरण प्रदर्श-14 अपीलार्थी के पास वाहन के बीमा का प्रमाणपत्र है, जो तीसरे पक्ष के जोखिम को भी कवर करता है।

15. दावेदारों द्वारा लाए गए साक्ष्यों की विश्वसनीयता को असंभाव्य बनाने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। ऊपर उल्लिखित संपूर्ण साक्ष्यों को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि श्री विजेंद्र सिंह की स्विफ्ट डिजायर कार पंजीकरण संख्या एमएच-49-बी-6665 को तेजी से और लापरवाही से चलाने के कारण एक मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई।

16. उपरोक्त स्थापित कानूनी सिद्धांतों के साथ-साथ रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सामग्री पर विचार करते हुए, न्यायालय का विचार है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री इस बात की पुष्टि करती है कि मोटर वाहन दुर्घटना वाहन की तेज गति और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई। प्रत्यर्थीगण मालिक सह चालक-प्रत्यर्थी संख्या 6 की जांच करके अपना भार उतारने में विफल रहे हैं। इसलिए, रेस इप्सा लोकिटुर का सिद्धांत भी लागू होगा।

17. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मृतक की पत्नी अर्थात् श्रीमती। शुभला मृतक पर आश्रित नहीं है और न ही घटना दिनांक को आश्रित थी क्योंकि वह अपने पति से अधिक वेतन पाने वाली शिक्षिका थी। इसी प्रकार मृतक के पिता श्री महेंद्र सिंह को मृतक पर आश्रित नहीं माना जायेगा। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि **सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य, (2009) 6 एससीसी 121, में भी** माननीय

उच्चतम न्यायालय ने मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती के प्रश्न पर विचार करते हुए कहा कि जब मृतक के माता-पिता जीवित हैं, तो केवल मां को ही माना जाएगा। पिता पर आश्रित होने की संभावना है क्योंकि उसकी अपनी आय होगी।

18. न्यायालय ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों में दम पाया। इसलिए, केवल दो बच्चे जो घटना के दिन नाबालिग थे और अब बालिग हो गए होंगे और उनकी मां श्रीमती संतोष देवी को भी मृतक पर आश्रित माना गया है।

19. मृतक का जन्म 10.12.1981 को प्रदर्श 19 प्रमाणपत्र के अनुसार हुआ था। घटना की तिथि पर, उनकी आयु 31-35 वर्ष के बीच थी, इसलिए, विद्वान न्यायाधिकरण ने सरला वर्मा (सुप्रा.) के मामले में निर्णय पर विचार करते हुए 16 के गुणक को सही ढंग से लागू किया है। इस न्यायालय को अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की इस दलील में कोई दम नहीं मिला कि अन्य सामग्रियों पर विचार करते हुए, मृतक की उम्र 36 वर्ष मानी जानी चाहिए, और इसलिए, 15 का गुणक लागू किया जाना चाहिए था।

20. विद्वान न्यायाधिकरण ने प्रदर्श-16 के तहत मृतक के वेतन प्रमाणपत्र पर विचार किया और मकान किराया भत्ते को छोड़कर निर्भरता की हानि की गणना के लिए अन्य आय को स्वीकार किया जो रुपये 29,903/- थी। विद्वान न्यायाधिकरण ने मृतक की भविष्य की संभावनाओं के लिए 50% सही ढंग से जोड़ा है। मासिक आय 44,054/- रुपये हो जाती है। चूँकि मृतक ने केवल 3 आश्रित छोड़े थे और ट्रिब्यूनल ने गलत माना है कि सभी 5 दावेदार मृतक के आश्रित थे, मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती 1/3 होगी न कि 1/4, जैसा कि ट्रिब्यूनल ने माना है। 1/3 कटौती सरला वर्मा के मामले (सुप्रा.) में दिशानिर्देशों के अनुरूप है। 44,850/- में से 1/3 घटाने के बाद राशि रुपये 29,903/- इस राशि को 12 महीने से गुणा किया जाता है और उसके बाद 16 के गुणक से गुणा किया जाता है। कुल गणना रुपये 57,41,376/- होगी। प्रथागत मद के तहत, ट्रिब्यूनल ने रुपये का पंचाट दिया था। अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 15,000/-, संपत्ति के नुकसान के लिए 15,000/- और रुपये पोस्टमार्टम के लिए और उसके बाद दाह संस्कार के लिए शव के परिवहन के लिए 5,000/- रुपये की राशि की पुष्टि की जाती है। ट्रिब्यूनल ने केवल रुपये 40,000/- का निर्णय सुनाया है। पति-पत्नी के संघ के विच्छेद के लिए 40,000/- रुपये प्रत्येक दावेदार

रुपये की उपरोक्त राशि का पात्र है। **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम और अन्य, (2018) 18 एससीसी 130** में आयोजित फाइलियल कंसोर्टियम, माता-पिता कंसोर्टियम और पति-पत्नी कंसोर्टियम के नुकसान के लिए अलग से 40,000/-। यह न्यायालय, ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए ब्याज की मात्रा में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।

21. उपरोक्त राशि का भुगतान पहले से भुगतान की गई राशि की कटौती के बाद किया जाएगा। कुल राशि में से एक तिहाई प्रत्येक दो बच्चों और मृतक की मां को दिया जाएगा। रुपये की राशि 40,000/- सभी पांच दावेदारों को समान रूप से दिए जाएंगे। चूँकि अब तक बच्चे वयस्क हो चुके होंगे, इसलिए बच्चों के पक्ष में सावधि जमा योजना में दावा राशि जमा करने के लिए दिशा-निर्देश की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब तक वे इतने परिपक्व हो चुके होंगे कि इसका उपयोग कर सकें।

22. मुआवजे की राशि की गणना में उपरोक्त संशोधन के साथ, यह अपील गुणागुण से रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

(बीरेंद्र कुमार), न्यायमूर्ति

BRIJ MOHAN GANDHI/77

टिप्पणी : इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।